अपील संख्या 111/2020 (RCMS 2020/00184) हरपाल सिंह सुधन पुत्र महताब सिंह निवासी चैम्बर नम्बर 5ए, कचहरी परिसर, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर –335051 बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.10.2020

अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह स्वयं आज उपस्थित हुआ। अप्रार्थी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि श्री सुरेन्द्र शर्मा, आई.ई.सी. समन्वयक उपस्थित हुए और विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर के पत्रांक पंसरा/पंचायत/सुनवाई का अधिकार/2020/1902 दिनांक 14.09.2020 की प्रति पेश की जो मुख्य रूप से ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मालसर को लिखा गया है और जिसकी प्रति उनके पत्रांक पंसरा/पंचायत/सुनवाई का अधिकार /2020 /1903–04 दिनांक 14.09.2020 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर एवं प्रार्थी श्री हरपाल सिंह को भिजवाई गई है।

अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत यह अपील पेश की थी, जिसमें अब वह कोई कार्यवाही नहीं चाहता है, परिणामस्वरूप अपीलार्थी ने अपील की फर्दअहकाम पर नॉटप्रैस अंकित किया है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने राजस्थान सुनवाई का अधिकार नियम 2012 के तहत एक अपील पेश की थी, जो त्रुटिवश सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के रूप मे दर्ज हो गई है, जिसे सुनवाई का अधिकार नियम 2012 के तहत दर्ज समझा जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अब अपीलार्थी ने सुनवाई का अधिकार नियम 2012 के तहत पेश की गई उक्त अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है इसलिए गुण दोष पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा इस अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहे जाने के कारण अपील इसी आधार पर खारिज की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर